न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 45/2019 जिला सीकर

1. कुल्डाराम पुत्र श्री जोधा जाति जाट निवासी ग्राम पलसाना तहसील दातारामगढ जिला सीकर।

–अपीलान्ट

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र स्व0 श्री नाथू
2. महावीर पुत्र स्व0 श्री नाथू
3. गीगराज पुत्र स्व0 श्री नाथू
4. श्रीमती तीजू बेवा स्व0 श्री नाथू

समस्त जाति जाट निवासीगण पलसाना तहसील दातारामगढ जिला सीकर।

–रेस्पोंडेन्ट्स

5. रामचन्दर पुत्र श्री रामेश्वर
6. श्रीमती पतासी बेवा श्री रामेश्वर

जाति जाट निवासीगण पलसाना तहसील दातारामगढ जिला सीकर।

7. सरपंच ग्राम पंचायत पलसाना, पंचायत समिति पिपराली जिला सीकर राज0।

–तरतीबी रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर दिनांक 16.01.1991 बाबत् नामान्तरकरण संख्या 1456 दिनांक 16.06.1981 ग्राम पलसाना तहसील दातारामगढ जिला सीकर (राजस्थान)।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री सुरेश कुमार चाहर
2. रेस्पोडेन्ट नं. 1 से 4 श्री राकेश शेखावत

निर्णय

दिनांक –25.07.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 16.01.1991 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 09.09.2019 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :–

यह कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के पिता एवं पति स्व0 नाथू द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष ग्राम पंचायत पलसाना पंचायत समिति पिपराली के द्वारा विवादित आराजीयात खसरा नं. 33 रकबा 2.52 है0 वाके ग्राम पलसाना तहसील दातारामगढ में स्थित भूमि के साबिका खसरा नं. 1458 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा के कब्जे के आधार पर खोले गये नामान्तरकरण संख्या 1456 को गलत बताते हुये आदेश दिनांक 16.06.1981 को निरस्त फरमाये जाने की अपील की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत पलसाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.06.1981 को गैर कानूनी व अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुये निरस्त कर पुनः सही जॉच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये।

उपखण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 16.01.1991 से व्यथित होकर अपीलान्ट कुल्डाराम पुत्र श्री जोधा द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 16.01.1991 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

Scanned by CamScanner

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । अपीलांट के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की तामील विधिवत रूप से करवाये बिना, सुनवाई का अवसर दिये बिना नामान्तरकरण आदेश दिनांक 16.06.1981 को अपास्त कराये जाने का निर्णय दिनांक 16.01.1991 को दिया है जबकि आज तक अपीलांट के नलकूप, पम्पसैट आदि मौके पर विघमान हैं एवं अपीलांट का कब्जा है एवं आराजी खसरा नं. 33 के संदर्भ में नामान्तरकरण संख्या 1456 दिनांक 16.06.1981 पटवारी हल्का एवं ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए खोला गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने इसे गैर–कानूनी व अधिकार क्षेत्र से बाहर मान कर निरस्त किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 16.01.1991 निरस्त किया जावे।

रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आराजी खसरा नं. 33 रकबा 2.52 है0 वाके ग्राम पलसाना का गत खसरा नं. 1458 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा था। उक्त आराजी की 1/2 हिस्से की खातेदारी प्रत्यर्थीगण के पूर्वज श्री नरसा पुत्र श्री मंगला व 1/2 भाग की भूमि श्री बिरदा पुत्र श्री पूरा के कब्जे खातेदारी की भूमि थी। श्री बिरदा की मृत्यु उपरान्त उनके 1/2 हिस्से पर उनके पुत्र श्री रामेश्वर व रामेश्वर की मृत्यु उपरान्त उसके वारिसान पुत्र श्री रामचन्द्र व पत्नी श्रीमती पतासी काबिज हूए और श्री नरसा की मृत्यु उपरान्त उनके 1/2 हिस्से की भूमि पर प्रत्यर्थीगण के पिता व पति श्री नाथू काबिज हुए जिनका कब्जा काश्त निरन्तर रूप से चला आया। उसके उपरान्त काबिज काश्तकार श्री श्री रामचन्द्र व पत्नी श्रीमती पतासी के द्वारा अपने सम्पूर्ण 1/2 भाग को श्री नाथू को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.07.1987 को विक्रय कर दिया इस प्रकार सम्पूर्ण आराजी का अकेले काबिज खातेदार काश्तकार नाथू है जो कि उक्त सम्पति का अपने परिवारजन के साथ उपयोग करता रहा है। विवादित आराजी के 1/2 भाग के पूर्व खातेदार श्री रामेश्वर पुत्र बिरदा की मृत्यु पर ग्राम पलसाना पटवारी ने उनकी विरासत का नामान्तरकरण उनके वारिसान पुत्र श्री रामचन्द्र व पत्नी श्रीमती पतासी के नाम ना भरकर नामान्तरकरण संख्या 1456 के द्वारा गलत तरीके से उक्त भूमि पर कुऑ व पम्पिंग सैट लगे होने के कारण रामेश्वर की विरासत का नामा. जोधा पुत्रा पूरा के नाम खोल दिया गया जिसका उसे कोई विधिक अधिकार नहीं है जिसे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा गैर कानूनी व अधिकार क्षेत्र से बाहर मानते हुये निरस्त कर सही जॉच के आधार पर कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अपीलांट को जारी नकल दिनांक 21.08.2019 को प्राप्त होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की बहस तथा रेस्पोडेण्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पेश लिखित बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड से जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरकरण संख्या 1456 दिनांक 16.06.1981 मूल रूप से पटवारी हल्का द्वारा खातेदार रामेश्वर की मृत्यु हो जाने पर विरासत के आधार पर भरा गया था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरकरण विरासत के आधार पर स्वीकार न किया जाकर अन्य व्यक्ति के कब्जे का उल्लेख करते हुए स्वीकार किया गया जिस पर अपील विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के न्यायालय में की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर ने अपने आदेश दिनांक 16.01.1991 द्वारा नामांतरकरण को ग्राम पंचायत को रिमाण्ड किया है तथा उन्हे पुनः जॉच करने के आदेश दिए गए हैं। हमारा विनम्र मत है कि खातेदार की मृत्यु हो जाने पर उसका नामांतरकरण विरासत के आधार पर ही

Scanned by CamScanner

खोला जाना चाहिए किसी अन्य व्यक्ति के तथा–कथित कब्जे के आधार पर विरासत का नामांतरकरण रद्द नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 16.01.1991 में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं। जहॉ तक अपीलार्थी के कथित कब्जे का कथन है तो उसके पास एक कानूनी अधिकार एवं विकल्प मौजूद है कि वह उनके अधिकारों के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत् सक्षम न्यायालय में दावा पेश कर सकता है तथा वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

उक्त विवेचना एवं विश्लेषण के आधार पर हम विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 16.01.1991 में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते तथा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते।

अतः आदेश है कि अपील अपीलकर्ता खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

Scanned by CamScanner